बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30.12.2024

अ.सं.संबं0–6144/2024–1715/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–24.12.2024 को गैर–सरकारी पारामेडिकल महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित सत्र–2023–24 हेतु औपबंधिक संबद्धता प्राप्त गैर–सरकारी पारामेडिकल महाविद्यालय को सत्र–2023–24 हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करते हुए कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2024–25** हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन किया जाता है।

Sl No	Name of the Paramedical College	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	Maulana Minnatullah Rahmani Technical Institute, Imarat Shariah Campus, Tam Tam Prao, Phulwari Sharif, Patna-801505	Bachelor of Physiotherapy	30

नियम एवं शर्त्तें:–

1. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. सभी पारामेडिकल महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2024–25 हेतु प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
7. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता /संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही सबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

10. महाविद्यालय / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

ह०/- 30/12/2024

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6144 / 2024–1715 / पटना, दिनांक 30-12-2024

प्रतिलिपि–प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित पारामेडिकल महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह०/- 30/12/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6144 / 2024–1715 / पटना, दिनांक 30-12-2024

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 30/12/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6144 / 2024–1715 / पटना, दिनांक 30-12-2024

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक) / डीन(फार्मेसी) / डीन(परीक्षा) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 30/12/2024
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय
ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना–800 001
दूरभाष:–8102926984, ई–मेल:–akuniv10@gmail.com, akuaffiliation@gmail.com

Ref. No. 006/**Affili**/377/AKU/2020 (Vol. – II) - 3364 Date : 18/10/2021

From,

The Registrar,
Aryabhatta Knowledge University, Patna.

To

The Chairman/Secretary/ Director,
Maulana Minnatullah Rahmani Technical Institute,
Imarat Shariah Compus Tam Tam Prao, Phulwarisharif, Patna

Subject :- Extension of Provisional affiliation for the academic session 2021-22 for Paramedical Course.

Sir/Madam,

It has reference to your proposal regarding granting extension of provisional affiliation for the academic session 2021-22 to your institute. On the basis of the report of the Inspection team, who visited yout institute on **11-09-2021** and as per recommendation of statutory bodies of the University. Your institute is granted extension of provisional affiliation for the academic session 2021-22 for following Paramedical course with intake as mentioned:-

Sl. No.	Name of Course	Intake Capacity
1.	**Bachelor of Physiotherapy**	**30 (Thirty) Seats**
2.	**Bachelor of Medical Lab Technology**	**40 (Fourty) Seats**

Your college is granted extension of Provisional affiliation to Aryabhatta Knowledge University, Patna on the following terms & conditions:-

1. This extension of Provisional affiliation is presently for one year only for the academic session 2021-22.
2. This Extension of provisional affiliation is based upon the No Objection Certificate accorded to your institute by Health Department, Government of Bihar vide memo no. **Memo No. 1-Pa.Me.-01-722/93 (Part)-41(1) , dated 16-01-2007**
3. The extension of provisional affiliation is subject to your attending to all the deficiencies / shortcoming/advices suggestions pointed out by the inspection team in its report dated 11-09-2021 (attached) in the meantime and send compliance report through affidavit within a period of 03(three) months to the University from the date of issue of this letter.
4. The University may inspect your college at any working day without information to check the infrastructure and other academic activity of your college as per guidelines of GoB/AKU.
5. All minutes of Governing Body should be submitted to office of Aryabhatta Knowledge University, Patna at the earliest.
6. When any vacant posts will be filled by the college/institute, University representative should be invited and appointments must be done in presence of University Representative.

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना–800 001

दूरभाष:–8102926984, ई–मेल:–akuniv10@gmail.com, akuaffiliation@gmail.com

7. College is requested to approved all teaching & non-teaching employees as per guidelines of the University in three months.
8. This extension of provisional affiliation has been granted in anticipation of approval of the Court, Aryabhatta Knowledge University, Patna.
9. This extension of provisional affiliation shall not take effect unless it is approved by the State Government.
10. Failing the above terms & conditions, this letter will be automatically treated as withdrawn. In such a case no further correspondence shall be entertained.

Yours faithfully,

18.12.21

Registrar

Aryabhatta Knowledge University, Patna